राजकीय प्रयोजनार्थ हेतु

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2/8/17	एकल पीठ श्री रवि प्रकाश शर्मा, सदस्य --- दिनांक 02-8-17 निर्णय प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री शंकरलाल चौधरी उपस्थित। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री एस.पी.ओझा उपस्थित। दोनों पक्षों की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। इन निगरानी याचिका में प्रार्थी पक्ष ने उपखण्ड अधिकारी पीपलू के द्वारा दिनांक 3-8-2007 को राजस्व वाद संख्या 131/2005 में जो आदेश पारित किया, उससे व्यथित होकर यह निगरानी याचिका पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू के यहां मीठालाल बनाम जमनालाल दावा संख्या 131/2005 में विचारण के दौरान निगराकार/प्रतिवादी पक्ष की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 6-ए सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी का पेश किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय में उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रतिवादी पक्ष ने यह निवेदन किया कि प्रतिवादी पक्ष का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए प्रतिवादी को प्रकरण में काउन्टर क्लेम (प्रति दावा) प्रस्तुत करने की अनुमति दी जावे। जिसका वादी पक्ष की ओर से प्रबल विरोध किया गया एवं अन्तत्वोगत्वा दिनांक 3-8-2007 को आक्षेपित आदेश के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 6-ए सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी को खारिज कर दिया। दोनों पक्षों को सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात मेरा यह मानना है कि निगराकार पक्ष की ओर से प्रकरण में जो जवाब दावा पेश किया गया था उसमें प्रति दावा प्रस्तुत करने के बाबत कोई उल्लेख नहीं किया गया। दूसरा आदेशिकाओं का	

COMPARED BY

अवलोकन करने से यह भी प्रतीत होता है कि इस मामले में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 9–3–06 को तनकियात कायम की गई। तत्पश्चात् 13–4–06 को साक्ष्य वादी समाप्त हुई तथा दिनांक 21–6–06 को प्रतिवादी की साक्ष्य समाप्त हुई एवं तत्पश्चात् से प्रकरण बहस अंतिम की स्टेज पर नियत था। उस दरम्यान प्रतिवादी की ओर से यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया। चूंकि प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र बहस अंतिम की स्टेज पर पेश किया गया है। जवाब दावा में इस प्रकार का कोई कथन उल्लेखित नहीं किया गया है, जो स्थिति यह प्रकट करती है कि प्रतिवादी पक्ष के द्वारा महज प्रकरण को डिले करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

उपरोक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए मेरा यह मानना है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो दिनांक 3–8–2007 को आक्षेपित आदेश पारित किया गया है, वह सही है एवं उसमें हस्तक्षेप करने की कोई गुंजाइश नहीं है।

आदेश–

अतः यह निगरानी खारिज की जाती है। दोनों पक्षों को पाबंद किया जाता है कि वो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 05–10–2017 को प्रकरण में आगे सुनवाई हेतु आवश्यक रूप से उपस्थित रहे। कार्यालय को हिदायत दी जाती है कि उक्त तारीख पेशी से पूर्व संबंधित पत्रावली को अधीनस्थ न्यायालय को आवश्यक रूप से प्रेषित किया जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

2/8/17

(रवि प्रकाश शर्मा)
सदस्य

COMPARED BY